रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122025-268508
CG-DL-E-15122025-268508

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5583] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/अग्रहायण 24, 1947
No. 5583] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/AGRAHAYANA 24, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5778(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा "**पंजाब शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरण** को (**पैन: AAALP0045J**]" (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), जोकि पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1995 (1995 का पंजाब अधिनियम सं. 11) के अंतर्गत गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-2025 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि करदाता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1995 (1995 का पंजाब अधिनियम सं. 11) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 172/2025/फा. सं. 300195/6/2024-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5778(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as "the Income-tax Act"), the Central Government hereby notifies **"Punjab Urban Planning And Development Authority" (PAN- AAALP0045J)** (hereinafter referred to as "the assessee"), an authority constituted under the Punjab Regional and Town Planning and Development Act, 1995 (Punjab Act No. 11 of 1995), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Punjab Regional and Town Planning and Development Act, 1995 (Punjab Act No. 11 of 1995) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 172/2025/F. No. 300195/6/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA